पावर ग्रीड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम सरकार

अपील/यूआईटी/2021/239

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीः– श्री प्रतीक शर्मा रेस्पो0 : श्री आकाश पारीक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-02-23	पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता की सुनी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अध्ययन किया जिसके आधार पर मै इस नित्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह अपील राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम–1974 के नियम 30 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। इस संबंध मे प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम–1974 के नियम 30 में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि "(30) जांच लम्बित रहने तक कार्यवाहियां स्थगित की जा सकेगी (1) किसी न्यास द्वारा नीलामी या आबंटन द्वारा इन नियमो के प्रावधानो के अधीन किये गये भूमि के अन्तरण की सत्यता, वैधता और औचित्यता के सम्बंध में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिये मण्डलीय आयुक्त सम्बंधित अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा करते हुए यह निर्णय दे देगा कि मामले की जांच लम्बित रहने तक भूमि का ऐसा अन्तरण रोका जाये, (2) यदि अभिलेख की जांच करने के पश्चात और सम्बंधित पक्षकारो को स्पष्टीकरण का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात मण्डल आयुक्त संतुष्ट हो कि नीलामी या आबंटन द्वारा न्यास द्वारा भूमि का अन्तरण इन नियमो की अनुपालना में नही है या इन नियमो के उल्लंघन में है, तो वह भूमि के ऐसे अन्तरण से सम्बंधित न्यास द्वारा की गई कोई कार्यवाही को किया गया कार्य या की गई संविदा पूर्णतः या आंशिकतः रद्द या विखण्डित कर सकेगी या आदेश पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी या अन्य कोई निर्देश दे सकेगी, जिससे यह ठीक समझे।" जिससे जाहिर होता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष अपील/प्रकरण केवल न्यास द्वारा नीलामी या आबंटन के प्रकरणो में ही माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है ना कि किसी अन्य प्रकरणो के विरुद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जिस कारण क्षेत्राधिकार के अभाव में उपरोक्त प्रकरण/अपील माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान स्तर पर ही बिना मेरिट पर विवेचन किये सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दो आदेश/मांग पत्र दिनांक 13.04.2017 व दिनाक 21.05.2015 के विरूद्ध उपरोक्त मांग पत्रो को निरस्त करने व अधिक देय राशि को प्राप्त करने व ब्याज राशि को माफ करने व लीज डीड का निष्पादन करने बाबत अनुतोष चाहे गये है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक आदेश /मांग पत्रो व चाहे गये अनुतोषो के विरूद्ध अपीले पारित किये गये आदेशो के अधिनियमों के विरूद्ध अलग अलग विधिक प्रावधानों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीः– श्री प्रतीक शर्मा रेस्पो0 : श्री आकाश पारीक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिसे विधिक आधार पर भी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अपील सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया कि अपील मीमो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है, वह श्रीमान माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं कर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है क्योंकि माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है, जबकि अपीलार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है, वह अनुतोष सक्षम दस्तावेजो के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो व साक्ष्यो का विधिनुसार विस्तृत विवेचन व अवलेकन कर गुणावगुण पर आदेश पारित किया जाता है, जिस विधिक आधार पर अपीलार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से विधिक हक, अधिकार नही है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रथमदृष्टया किसी भी प्रकार से आदेश/ निर्णय/डिकी से सम्बंधित अनुतोष की श्रेणी में नही आता है, जो जाहिर करता हैं कि उत्तरदाता द्वारा जो कार्यवाही एवं आदेश /मांग पत्र जारी किये गये वह एक प्रशासनिक आदेश है, जिसके विरुद् अपीलार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का किसी भी प्रकार से विधिक हक, अधिकार नहीं है। जिस विधिक आधार पर भी अपीलार्था द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम–1974 के नियम 30 के तहत प्रस्तुत की गई है। जिसे सुनवाई व निस्तारण का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही होकर सिविल न्यायालय को होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा की गई बहस के जवाब मे अपीलान्ट अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम–1974 के नियम 30 के तहत प्रस्तुत की गई। जिसका क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को है न कि

Scanned with CamScanner

पावर ग्रीड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम सरकार

अपील/यूआईटी/2021/239

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी:– श्री प्रतीक शर्मा रेस्पो0 : श्री आकाश पारीक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सिविल न्यायालय कों है। अतः रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब का खारिज किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करने का निवेंदन किया है।

उभयपक्ष अभिभाषक की सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश मांग पत्र बाबत जारी किया गया है। न्यायालय के समक्ष अपील/प्रकरण केवल न्यास द्वारा नीलामी या आबंटन के प्रकरणो में ही न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाधीन मांग पत्र दिनांक 13.04.2017 व मांग पत्र दिनांक 21.05.2015 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे नही होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त 6/2/2023
अजमेर

Scanned with CamScanner